भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1417

जिसका उत्तर दिनांक 04.07.2019 को दिया जाना है

रेडियोधर्मी ईंधन का भंडारण

1417. सुश्री सरोज पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी ईंधन का भंडारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) देश में स्थापित इन भंडार गृहों के स्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) सभी ईंधन भंडारण सुविधाएं नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एनएफसी) परिसर में स्थित हैं और "नाभिकीय सामग्री और नाभिकीय सुविधाओं की प्रत्यक्ष सुरक्षा (आईएनएफसीआईआरसी/225 संशोधन 4)" विषय पर अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) दस्तावेज़ के अनुसार उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं । केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही इन सुविधाओं में जाने की अनुमति है और सुविधा की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा ही सामग्री एकाउंटिंग की जाती है ।

नाभिकीय विद्युत संयंत्र में बहुमूल्य रेडियोसक्रिय भुक्तशेष (प्रयुक्त) ईंधन के भंडारण के लिए अपनाई गई योजना एक दोहरी योजना है । भुक्तशेष ईंधन का भंडारण करने के लिए प्रथम स्थल रिएक्टर बिल्डिंग/सेवा बिल्डिंग के अंदर स्थित होता है जिसे सामान्यत: भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/ताल के नाम से जाना जाता है और दूसरी भंडारण सुविधा रिएक्टर से दूर संयंत्र परिसर के अंदर स्थित होती है जिसे 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा कहा जाता है । जब भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/ताल की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो जाता है तो भुक्तशेष ईंधन को एएफआर में शिफ्ट कर दिया जाता है । किसी साइट की आवश्यकता के अनुसार वहाँ एएफआर सुविधा स्थापित की जाती है ।

सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/ताल हैं और वर्तमान में तारापुर, महाराष्ट्र और रावतभाटा, राजस्थान स्थलों पर एएफआर सुविधाएं प्रचालनरत हैं ।

*****